निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

पत्रॉक 674-75/स0क0/अनु./वृ.गृ./2016–17,

लखनऊ : दिनॉक 23 फरवरी ,2017

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर।

विषय:–**उ0प्र0 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली–2014 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार द्वितीय व तृतीय चरण (2015–16 एवं 2016–17) से सम्बंधित अवशेष जनपदों में वृद्धाश्रमों की स्थापना के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनॉक 31–3–2017 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में वृद्धाश्रम स्थापित कराया जाना बाध्यकारी है। शासन स्तर से आपके जनपद में वृद्धाश्रम संचालन हेतु मा0 मंत्री जी समाज कल्याण,उ0प्र0 की स्वीकृति के उपरान्त स्वैच्छिक संस्था जन कल्याण परिषद, उ0 प्र0 शमसाबाद फरूर्खाबाद का चयन किया गया है। वर्तमान में विधान सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू है। शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दिनॉक 31–3–2017 तक वृद्धाश्रमों की स्थापना कराया जाना बाध्यकारी/अपरिहार्य होने के कारण चयनित संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित आवासीय भवनों तथा अन्य सम्बंधित मूलभूत सुविधाओं का भौतिक/स्थलीय सत्यापन के साथ ही समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जाय। आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कराये जाने विषयक शासन के निर्देशों के अनुपालन में निदेशालय स्तर से प्रारूप 1,2 एवं 3 तैयार किये गये हैं, जिस पर स्थलीय सत्यापन के बाद निर्धारित बिन्दुओं पर सूचना तथा आपकी संस्तुति अपेक्षित है।

अतः तैयार तीनों प्रारूपों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनॉक 3–3–2017 तक प्रत्येक दशा में संस्था द्वारा प्रस्तावित भवन तथा मूलभूत सुविधाओं आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए भवन की उपयुक्तता तथा अन्य बिन्दुओं पर स्पष्ट आख्या सहित संस्तुति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे नियमावली के प्राविधानों के तहत अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके।

संलग्नक–03 प्रारूप।

(पी0सी0 उपाध्याय)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि–अध्यक्ष/सचिव जन कल्याण परिषद, उ0 प्र0 शमसाबाद फरूर्खाबाद को इस आशय से कि उपरोक्त जनपद में वृद्धाश्रम संचालन हेतु निदेशालय स्तर पर गठित समिति की संस्तुति पर मा0 मंत्री जी समाज कल्याण उ0प्र0 के अनुमोदन से शासन स्तर से आपकी संस्था का चयन किया गया है। अतः सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से तत्काल व्यक्तिगत सम्पर्क करके निर्धारित अवधि में सत्यापन कराकर वांछित सूचना/आख्या जनपदीय अधिकारी की संस्तुति से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

23/2/17

(पी0सी0 उपाध्याय)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक।